

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/6358-69

दिनांक : 1/2/2019

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय : बरवाला मच्छार माईक्रो स्टोरेज टैंक का निर्माण की वित्तीय स्वीकृति बाबत।
महोदय,

विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 5962-74 दिनांक 30.01.2019 द्वारा बरवाला मच्छार माईक्रो स्टोरेज टैंक का निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 299.80 लाख जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी जल संसाधन को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्नांकित स्थानों पर सामुदायिक भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति कॉलम संख्या-5 में अंकित राशि की जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी-जल संसाधन विभाग (खमेरा नहर खण्ड माही परियोजना बांसवाडा) (राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	
		क्र./दि.	राशि
1	2	3	4
1	बरवाला मच्छार माईक्रो स्टोरेज टैंक का निर्माण ग्रा.प. बरवाला राजिया पं.स. बांसवाडा।	SE/MAHI/BSW01/2018-19	299.80

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-50/2018-19 जयपुर दिनांक 16.01.2019 से एनिकट निर्माण हेतु प्राप्त राशि रु. 1200.93 लाख में से होगा।

शर्तें :-

1. यदि उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता हो तो सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कराकर ही कार्य प्रारंभ करे।
2. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. कार्य की निविदा समय पर आमंत्रित की जावे एवं कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जावे। विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(भवानी सिंह/देवा) I.A.S
आयुक्त

कृ.पू.उ.

एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/6358-69
प्रतिलिपि -

दिनांक : 1/2/2019

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, निर्माण वृत्त माही परियोजना बांसवाडा।
7. अधिशाषी अभियंता खमेरा नहर खण्ड माही परियोजना बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
8. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-50/2018-19 जयपुर दिनांक 16.01.2019 से एनिकट निर्माण हेतु प्राप्त राशि रु. 1200.93 लाख मे से राशि रुरु. 299.80 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को हस्तांतरित करे।
9. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकौष्ठ, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)